



झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग

प्रथम तल्ला, झारखण्ड राज्य हाउसिंग बोर्ड (पुराना मुख्यालय),
हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची-834002

सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग, राँची के द्वारा (1) Draft JSERC (Terms and Conditions for Determination of Distribution Tariff) (First Amendment) Regulations, 2023 एवं (2) Draft JSERC (Terms and Conditions for Determination of Generation Tariff) (First Amendment) Regulations, 2023 का प्रारूप दिनांक 29.08.2023 को जारी करते हुए दिनांक 15.09.2023 तक सुझाव/आपत्ति/मंतव्य मांगा गया था।

उपरोक्त विनियमनों को अंतिम रूप देने के पूर्व एवं पारदर्शिता बरतने के उद्देश्य से झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग, राँची के द्वारा जन-सुनवाई दिनांक 29.09.2023 को आयोग के सभागार, प्रथम तल्ला, झारखण्ड राज्य हाउसिंग बोर्ड (पुराना मुख्यालय), हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची-834002 में 2:30 बजे अपराह्न से होना सुनिश्चित किया गया है।

अतः सभी इच्छुक व्यक्ति/संस्था, उपभोक्ता समूह एवं विज्ञप्तिधारियों को सूचित किया जाता है कि जन-सुनवाई में उपस्थित होकर अपने सुझाव, आपत्तियाँ एवं मंतव्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

आदेशानुसार
सचिव